

प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि

❖ चर्चा में क्यों ?

- समुद्री प्रदूषण सहित सभी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व के 170 से अधिक देश सोमवार (25 नवंबर) को एक नई कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर बातचीत के लिए कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में एकत्रित हो रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA, United Nation Environment Assembly) द्वारा वर्ष 2022 में वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए "वैश्विक प्लास्टिक संधि" बनाने पर पहली बैठक की गई थी।
- इस मुद्दे पर सोमवार (25 नवंबर) को शुरू होने वाली यह पांचवीं और अंतिम दौर की वार्ता है।



❖ वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है ?

- प्लास्टिक के अपने अनुकूलनीय गुणों और बहुमुखी उपयोग के कारण यह मानव जीवन के लिए लगभग अपरिहार्य हो गया है, जिसके कारण हाल के दशकों में दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन आसमान छू गया है।
- वर्ष 2000 ई. में जहां प्लास्टिक का वार्षिक वैश्विक उत्पादन 234 मिलियन टन था, वह 2019 में दोगुना होकर 460 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गया है।
- उपरोक्त प्लास्टिक के वैश्विक उत्पादन में आधे से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन एशिया महादेश के देशों में हुआ।
- एशिया के बाद प्लास्टिक उत्पादन में दूसरा स्थान उत्तरी अमेरिका (19%) और तीसरा स्थान यूरोप (15%) का रहा।

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD, Organisation for Economic Co-Operation and Development) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक प्लास्टिक का सालाना वैश्विक उत्पादन 700 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है।
- लैंसेट द्वारा प्रकाशित 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, प्लास्टिक को विघटित होने में 20 वर्ष से 500 वर्ष तक का समय लगता है तथा अभी तक कुल वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन का सिर्फ 10% से कम का पुनर्वर्तन (Recycling) किया गया है।
- वर्तमान में प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हो रहा है, जिसका वर्ष 2024 से 2050 के बीच 62% बढ़ने की संभावना है।
- अधिकांश प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में विशेषकर नदियों और महासागरों में लीक हो जाता है, जहां यह छोटे कणों (माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक) में टूट जाता है।
- ये प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव को काफी नुकसान पहुंचा रहा है एवं जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है।
- वर्ष 2024 तक अनुमानतः 20 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में पहुंच चुका है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP, United Nation Environment Programme) को सौंपे गए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि प्लास्टिक में रसायनों के संपर्क से मानवों में कैंसर, मधुमेह, प्रजनन संबंधी विकार सहित न्यूरोडेवलपमेंट लॉन्स सहित कई मानव रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
- प्लास्टिक, समुद्री पानी, मीठे पानी सहित भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाली प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहा है।
- प्लास्टिक वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।
- वर्ष 2020 में उत्पन्न कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG, Green House Gases) उत्सर्जन का 3.6% ग्रीनहाउस उत्सर्जन में प्लास्टिक का योगदान था।
- प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 90 प्रतिशत उत्सर्जन प्लास्टिक उत्पादन संयंत्रों से आया जबकि शेष 10% उत्सर्जन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार के दौरान निर्गत हुआ।
- संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल लैबोरेटरी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर प्लास्टिक उत्पादन को नियंत्रित नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक वैश्विक रूप से कुल ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में प्लास्टिक का योगदान 20% तक बढ़ सकता है।
- इसी वर्ष सितंबर महीने में नेवर जनरल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारत कुल वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में 20% का योगदान देता है।

- भारत 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण प्रतिवर्ष उत्पन्न कर रहा है।
- भारत के बाद प्लास्टिक प्रदूषण में योगदान देने वाले प्रमुख देशों में नाइजीरिया (3.5 मिलियन टन), इंडोनेशिया (3.4 मिलियन टन) और चीन (2.8 मिलियन टन) प्रमुख हैं।

❖ “बुसान” में क्या चर्चा होगी ?

- कोरिया गणराज्य के “बुसान” में होने जा रही वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने संबंधी वार्ता में मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन से लेकर प्लास्टिक प्रदूषण और उसके जीवन चक्र के माध्यम से प्लास्टिक निपटान और कचरे के प्रबंधन की चुनौतियों के समाधान के लिए नियमों का एक वैश्विक सेट तैयार करने से संबंधित है।
- ब्रिस्ट पत्रिका के अनुसार इस वार्ता में विशेष प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों और प्लास्टिक में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक योजकों पर प्रतिबंध लगाने पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
- इसके अलावा इस वार्ता में प्लास्टिक उद्योगों पर निर्भर समुदायों के लिए न्यायसंगत परिवर्तन पर बातचीत होगी ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो।
- हालांकि इस वार्ता में भाग लेने वाले कई तेल और गैस समृद्ध देशों और प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादक और प्लास्टिक उत्पादक देश उपरोक्त महत्वपूर्ण एजेंडा पर सहमत होने में अब तक असमर्थ रहे हैं।
- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, मिश्र, कुवैत, मलेशिया और भारत जैसे देशों ने उपरोक्त प्रतिबंध के प्रति प्रतिरोध व्यक्त करते हुए इसके बजाय नवीन अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्लास्टिक उपयोग जैसी उपायों का प्रस्ताव दिया है।
- दूसरी ओर रवांडा, पेरू और यूरोपीय संघ ने प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 2025 को आधार वर्ष मानते हुए 2040 तक इसमें 40% कटौती करने संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तावित किया है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की वार्ता समिति, जो इस वार्ता का नेतृत्व कर रही है, के अनुसार इस वार्ता में भाग लेने वाले देशों को इस संभावित संधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश के तहत धन जुटाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

❖ भारत की स्थिति क्या है ?

- भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत “पॉलीमर उत्पादन” पर किसी तरह के प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है।
- भारत ने इस प्रकार के अंतिम संधि के मूल प्रावधानों में वित्तीय और तकनीकी सहायता सहित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को शामिल करने की मांग की है।
- भारत ने वर्ष 2022 में ही 19 श्रेणियों को कवर करते हुए “एकल-उपयोग प्लास्टिक” के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- भारत चाहता है कि इस संधि के तहत वैज्ञानिक तरीके और सुरक्षित कचरा प्रबंधन के लिए एवं ढांचागत आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा भारत चाहता है कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ पर्याप्त समय पर पूर्वानुमानित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का भी आकलन होना चाहिए।



Result Mitra